FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **विशेष जैन** बनाम **सीमा जैन वगै०**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र बाबत पुनः नम्बर पर लिये जाने (रेस्टोरेशन)**

15 / 109 / 2025 **दा0दि0 15/12/2025**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अदालत जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
15.12.2025	आज यह प्रा०पत्र रेस्टोरेशन वकील प्रार्थी द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर पेश किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का मुख्य कथन है कि वकील साहब द्वारा कहा कि अपील में अभी रैस्पो० की तलवी तामील में चल रही है पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष का तलवाना पेश नहीं करने के कारण अपील अपीलांट दिनांक 12.02.2025 को 'न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा खारिज फरमा दिया गया। उक्त अपील बेसकीमती आराजी भूमि के इंतकाल से संबंधित है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र बाबत पुनः नम्बर लिये जाने स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलांट को पुनः नम्बर पर लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किये जानें के आदेश फरमाया जावें। वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र के समर्थन में सीपीसी 1908 का ओदश 9, 2022(3) CJ (Civ.) (Raj.) पेज 1676, 2025(2) CJ (Civ.) (SC) पेज 669 एवं RRT 2022(2) पेज 946 नजिर पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी वकील की बहस पर चिन्तन/मनन किया गया एवं पत्रावली व प्रस्तुत नजीरो का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। निर्णय दि० 12.02.2025 में अंकित किया गया है कि **"पत्रावली प्रस्तुत। अपीलांट की और से कोई उप० नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा आज तक नोटिस तामिल नहीं कराये है। अतः पत्रावली Non-Compliance में खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है"** सीपीसी आदेश 9 नियम 5 में वर्णन है कि वादी न्यायालय में नए समन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध खारिज कर दिया जाए। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपील पेश करने के पश्चात अप्रार्थी की तामील कराने में विफल रहा है। जिस कारण अपील अपीलांट तलवी के अभाव में आदेश 9 नियम 5 के तहत Non-	

Compliance में खारिज की गई है।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस पारित आदेश दि० 12.02.2025 को आदेश 9 नियम 2 के तहत मानकर आदेश 9 नियम 4 का बार–बार हवाला देते हुए / जोर देते हुए प्रा०पत्र को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा पेश नजिर 2025(2) CJ (Civ.)(SC) पेज 669 में वर्णन है कि "यदि कोई वाद आदेश 9 नियम 2 या 3 के तहत खारिज किया जाता है तो आदेश 9 नियम 4 के तहत उपचार उपलब्ध है यानि खारिजगी को अपास्त कराया जा सकता है" **किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा ही पेश नजिर RRT 2022 (2) पेज 946 के अवलोकन से पाया है कि केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19, 88 एवं 188 के तहत** वाद रजिस्टर्ड हुआ हो और न्यायालय के आदेश की अपालना के कारण (नोटिस तलवाना पेश नहीं किये जाने के कारण) खारिज किया गया हो तो वादी नया वाद लाने अथवा आदेश को अपास्त कराने हेतु स्वतंत्र था।

चूंकि दि० 12.02.2025 आदेशित अपील अपीलांट न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई थी ना कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19, 88 एवं 188 के तहत।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि निर्णय दिनांक 12.02.2025 नियम 9 आदेश 5 जा०दी० Non-Compliance के विरूद्ध पुनः नम्बर पर लिये जाने का प्रा०पत्र का सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को ना होकर सक्षम न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र रेस्टोरेशन इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाकर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)